फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

संख्या :–

किस्तुरचंद **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.12.19	पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया गया तो प्रार्थना पत्र राव किस्तुरचंद भूत पूर्व जागीरदार राघोपुरा तहसील चाकसू अवंटित शुदा शेष भूमि का कब्जा दिये जाने व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.06.2009 के अनुसरण में सिलिंग भूमि का निर्धारण कर निर्णय का पत्र क्रमांक/जागीर/89 दिनांक 08.12.2009 के द्वार प्राप्त होने पर प्रकरण की मूल पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर जागीर कलक्टर जयपुर का पत्रांक/जागीर/5/298 दिनांक 28.02.2005 302 दिनांक 18.03.2005 व 308 दिनांक 01.04.2005 का प्राप्त होने पर प्रकरण से संबंधित तहसीलदार से विस्तृत जांच रिपोर्ट ली गयी तो तहसीलदार चाकसू ने पत्रांक/9692 दिनांक 30.11.2005 के द्वारा निम्न प्रकार से रिपोर्ट प्रेषित की गयी की भूतपूर्व जागीरदार राव किस्तुर चंद जैन तहसील हाजा में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्रम माधोपुरा के जागीरदार होना प्राप्त नही होता है ग्राम चाकसू के जागीर रजिस्ट्रर 2008–23 के अनुसार माफी किस्तुरचंद के नाम किता 132 रकबा 179 बीघा 1 बिस्वा दर्ज है। जिसमें चाही 50 बीघा 19 बिस्वा बरानी 128 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है जिसमें राव किस्तुर चंद के नाम 29 बीघा भूमि खुद काश्त दर्ज है तथा शेष 150 बीघा 1 बिस्वा खलसा की जाकर अन्य खातेदार के नाम की गयी है। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय राव किस्तुरचंद जैन भूतपूर्व जागीरदार द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार ककुल 8 सदस्य थे जिनका नाम राव किस्तुरचंद स्वयं (2) सूरजदेवी (3) राजदेवी (माता)(4) राजेश कुमार पुत्र (5) तेजकुमार पुत्र (6) कैलाश पुत्र (7) मन्जू देवी पुत्री (8) चन्द्रकान्ता पुत्री भूतपूर्व जागीरदार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में निम्न सदस्य बताये गये। 1 राव किस्तुरचंद जैन 2 राजेन्द्र कुमार पुत्र 3 श्रीमती सरोज देवी पुत्र–वधु 4 कपील पोत्र 5 कुसुम जैन 6 हितेश प्रपोत्र 7 गोरधन प्रपोत्र 8 पंकज प्रपोत्र 9 मधु पोत्रवधु 10 महिपाल जैन	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

...chand vs sarkar.docx

फर्द अहकाम

11 सुमन पौत्रवधु 12 अंकित प्रपोत्र 13 सौरभ प्रपोत्र 14 जितेन्द्र पोत्र 15 श्रीमती मंजू जैन प्रपोत्र वधु 16 स्वाती प्रपोत्री 17 शुभम प्रपोत्र 18 साक्षी प्रपोत्री 19 श्रीमती कान्ता पोत्रवधु 20 रेणु पोत्री 21 नीमा पोत्री 22 कल्पना पोत्री 23 रविकुमार जैन 24 सुमित्रा जैन 25 विकास प्रपोत्र 26 विकय पोत्र 27 नीलम जैन 28 तनीषा प्रपोत्री 29 सूचि प्रपोत्री 30 मंजू जैन 30 सदस्य मौजूद है। परन्तु इनके अलावा सन 1981 के बाद कमश तेजपाल पुत्र कैलाश , विमला देवी पुत्र निक्की पोत्र चन्द्रकान्ता पुत्र फौत हुयी है। भूतपूर्व जागीरदार राव किस्तुर चंद जैन के पास जागीर भूमि 179 बीघा 1 बिस्वा थी जिसमें चाही 50 बीघा 1 बिस्वा बारानी 128 बीघा 2 बिस्वा थी अर्थात जागीरदार के पास कुल 175, 19/32 एक भूमि बारानी थी तथा काश्त के लिये अधिकतम 88, 29/32 एकड अर्थात 187 बीघा 5 बिस्वा खुद आवंटन के अधिकारी थे। जो तत्कालीन सिलिंग नियम 1963 के अनुसार राव किस्तुर चन्द जैन कुल 98 एकड अर्थात 156 बीघा 16 बिस्वा भूमि धारण के अधिकारी थे। राव किस्तुर चंद के पास एकीकरण में ग्राम कस्बा चाकसू में कुल 36 बीघा 12 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसमें चाही 11 बीघा 18 बिस्वा व बारानी 24 बीघा 14 बिस्वा दर्ज थी अर्थात कुल 60 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि मौजूद थी ग्रम राघोपुरा में कुल 97 बीघा 3 बिस्वा भूमि बारानी दर्ज थी। इस प्रकार कुल 157 बीघा 16 बिस्वा भूमि बारानी जागीरदार के पास मौजूद थी। जो सिलिंग नियमो के तहत 1 बीघा भूमि अधिक थी, अतः सिलिंग नियम 1973 एवं राज्य सरकार के परिपत्र एफ8(14) – 4(19) दिनांक 15 जून 2009 के अनुसार प्रकरण में ओर भूमि आंवटित नही किया जा सकता सिलिंग सीमा से अधिक के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू(जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prak...
Date: 2020.01.13 16:43:55
Reason: SelfAttested
Location: